सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 07/17 **निर्णय दिनांक– 25.05.2018**

1. भैराराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी कितासर भाटियान तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. अर्जनराम पुत्र गिधाराम जाति जाट निवासी कितासर भाटियान तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. भैराराम पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी कितासर भाटियान तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. गिरधारी
5. सोहनलाल

पिसरान उम्मेदाराम जाति जाट निवासी कितासर भाटियान तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

6. सांवरमल पुत्र तोलाराम जाति जाट निवासी कितासर भाटियान तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
7. मामराज पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी कितासर भाटियान तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांटस्

–बनाम–

1. जयचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी कितासर भाटियान तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 02–02–2017
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

उपस्थितः–

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ़ के आदेश दिनांक 02—02—2017 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में विधि विरूद्व तरीके से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की भूमि वाके रोही कितासर भाटियान के खेत खसरा नम्बर 418, 582/410, 588/428, 457, 460, 461, 458, 459, 454 स्थित है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 392 में स्थित है। अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार यह भली भांति साबित था कि खसरा नम्बर 392 में से वर्षो से पुराना रास्ता चल रहा था एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त रास्ता बन्द किया जा रहा है। अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अरसे दराज से चले आ रहे रास्ते को बन्द करने का लाईसेन्स प्रदान कर दिया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि धारा 188 आरटीए के वाद में धारा 251 के प्रावधानों के तहत रास्ता रोकने का अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से प्रार्थना पत्र सुनने का तथ अनुतोष प्राप्त करने का क्षेत्राधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं होकर तहसीलदार को प्राप्त था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर तथा तहसीलदार को प्रदत अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया हैं।

अदालत मातहत ने धारा 251 ए के तहत अनुतोष प्रदान किया गया है जबकि जहॉ रास्ता पहले से मौजूद है वहॉ धारा 251 ए के प्रावधान लागू नहीं होते हैं अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य को गलत ढंग से उपयोग करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा आरआरटी 2010 पार्ट ाा पेज 1197 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष फर्द मौका रिपोर्ट प्रस्तुत थी उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि उक्त रास्ता वर्षो पुराना है तथा यह खेतों का सदामत का पुराना बहता रास्ता है जो राजस्व रिकार्ड में कटानी नहीं है परन्तु कटानी रास्ते के समान ही उपयोग/उपभोग में आ रहा है तथा बहुत से खेतों का एक मात्र रास्ता है। उक्त रास्ता खेत खसरा नम्बर 392 के खातेदारों ने बाड़ लगाकर अवरूद्व कर रखा है जिससे आगे के खेतों में जाने वाले खातेदारों/काश्तकारों को भंयकर परेशानी हो रही है। इस प्रकार अदालत मातहत के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट थी कि रेस्पोडेन्ट द्वारा जानबूझकर रास्ता अवरूद्व किया गया है। उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आगे कथन किया गया कि वादगत् भूमि के संबंध में तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़ द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर अपीलांट द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बीकानेर के समक्ष राजस्व अपील प्रस्तुत किये जाने पर श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बीकानेर द्वारा अपीलांट की अपील दिनांक 05—02—2018 को स्वीकार करते हुए आदेश प्रदान किये गये कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—03—2017 तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़ निरस्त किया जाकर ग्राम कितासर भाटियान के खसरा नम्बर 392 के उत्तरी तरफ व दक्षिण तरफ बाड़ लगाकर अवरूद्व किये गये रास्ते को खुलवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

उक्त रास्ता अन्य किसी सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन न होने की स्थिति में प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश की पालना में दिनांक

21—03—2018 को पुलिस इमदाद से रास्ता खोल दिया गया। इस प्रकार यह तथ्य भलींभांति स्पष्ट है कि खेत खसरा नम्बर 392 में रास्ता पूर्व में ही आवागमन हेतु चालु रास्ता था। जिसे अदालत मातहत के अपीलाधीन आदेश के माध्यम से बन्द किया जा रहा है। जो उपरोक्त निर्णय व मौके की स्थिति के अनुसार कतई उचित नहीं है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2010 पार्ट II पेज 1197, आरआरडी 1977 पेज 667, आरआरडी 1974 पेज 446 हेड नोट 3, आरआरडी 2016 पार्ट I पेज 639 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी एवं उसके भाई महावीर प्रसाद की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 392 तादादी 7.93 हेक्टर वाके रोही कितसर भाटियान तहसील श्रीडूँगरगढ़ में स्थित है। प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर ट्यूब वैल बना रखा है व सिंचित फसल काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के खेत के चारो तरफ बड़ी बड़ी सीवें मौजूद है तथा प्रार्थी परिवार सहित ढाणी बनाकर निवास कर रहा है। अप्रार्थी का खेत प्रार्थी के खेत से करीब दो किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी केा प्रार्थी के खेत से आवागमन हेतु कोई रास्ता मौजूद नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में से जबरदस्ती रास्ता कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास अप्रार्थीगण के विरूद्व वादगत् भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि का संयुक्त खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में साबित है। अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्यों केा ध्यान में रखते हुए अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि मौके पर कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है तथा नक्शे में कोई कोई डोटेड लाईन नहीं है। अदालत मातहत ने यह माना है कि प्रार्थी खातेदार है तथा प्रार्थी के खेत की जमाबन्दी में कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। अपीलांट रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि मे से रास्ता कायम करवाने हेतु अमादा है। चूंकि राजस्व रिकार्ड में रास्ता उपलब्ध नहीं है अतः अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए खेत खसरा नम्बर 392 रोही मौजा कितासर भाटियान की भूमि में से रास्ता कायम नहीं करने के आदेश प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा तमाम राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करते हुए व राजस्व रिकार्ड के अनुसार आदेश जैर अपील पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए खेत खसरा नम्बर 392 रोही मौजा कितासर भाटियान की भूमि में से रास्ता कायम नहीं करने व किसीप्रकार की दखलंदाजी नहीं वाद के निर्णय तक नहीं करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में हमने अदालत मातहत की पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में हमने वादगत् भूमि के बाबत् संबंधित पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि खेत खसरा नम्बर 392 में उपलब्ध उक्त रास्ता वर्षो पुराना है तथा यह खेतों का सदामत का पुराना बहता रास्ता है जो राजस्व रिकार्ड में कटानी नहीं है परन्तु कटानी रास्ते के समान ही उपयोग/उपभोग में आ रहा है तथा बहुत से खेतों का एक मात्र रास्ता है। उक्त रास्ता खेत खसरा नम्बर

392 के खातेदारों ने बाड़ लगाकर अवरूद्व कर रखा है जिससे आगे के खेतों में जाने वाले खातेदारों/काश्तकारों को भंयकर परेशानी हो रही है।

(3) इसी प्रकार उक्त रिपोर्ट में यह भी अभिलिखित है कि खेत खसरा नम्बर 392 के उत्तरी तरफ एक जोहड़ पायतान है जिसमें एक पक्का जोहड़(तालाब) बना हुआ है जो 35—40 वर्षो पहले का है जिसे आस—पास के खेतों के खातेदार/काश्तकार स्वयं व अपने पशुओं को पानी पिलाने के काम लेते आ रहे है तथा उक्त जोहड़ पायतान में एक पानी का जलहौद भी बना हुआ है। उक्त रास्ता एक महत्वूपर्ण आम रास्ता है जिसे खसरा नम्बर 392 के खातेदारों ने बन्द कर रखा है। जिसे खुलवाये जाने की कार्यवाही की जानी अति आवश्यक है। इस प्रकार अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य भलींभांति प्रकट थे कि उक्त रास्ता अरसे दराज से मौके पर चला आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उक्त रास्ता बन्द करने के आदेश अपीलाधीन आदेश के माध्यम से प्रदान किये गये है।

(4) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विपरीत जाकर केवल मात्र इस आधार पर कि मौके पर कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है तथा जमाबन्दी में कोई रास्ता रिकार्डेड नहीं है, रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कानूनी भूल कारित की गई है। जबकि मौके की वास्तविक रिपोर्ट के आधार पर यह तथ्य भलींभांति प्रकट है कि खेत खसरा नम्बर 392 में से आवागमन हेतू सदामत का पुराना बहता रास्ता है तथा राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता नहीं है, परन्तु कटानी रास्ते के समान ही उपयोग व उपभोग में आ रहा है तथा बहुत से खेतों का एक मात्र रास्ता है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते को बन्द करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ का आदेश दिनांक 02—02—2017 निरस्त किया जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर